यु.आर. राव उपग्रह केन्द्र/U R RAO SATELLITE CENTRE सीएचएसएस घोषणा फार्म – 2024/CHSS FORM OF DECLARATION- YEAR 2024

मै एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि अंतरिक्ष विभाग की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) के अंतर्गत शामिल किये गए मेरे परिवार के निम्नलिखित सदस्य पूर्णतया मुझ पर आश्रित हैं तथा (सीएचएसएस योजना के अनुच्छेद 3.2.4 के अनुसार) वास्तविक रूप से मेरे साथ रह रहे हैं। I hereby declare that the following member(s) of my family who have been included under the Contributory Health Service Scheme (CHSS) of the Department of Space are wholly dependent on me (in terms of Para 3.2.4 of the CHS Scheme).

क्रम सं/ SI. No	परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम Name of the dependent family member(s)	जन्म तिथि Date of Birth	लिंग sex	कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the employee	निर्देशित दिव्यांग (हॉ/नहीं) PwBD (Yes/No)	व्यवसाय (यदि कार्यरत हैं तो नियोक्ता का पता) Occupation (If employed furnish the address of the employer)	क्या कर्मचारी के साथ रहते हैं / Whether residing with the employee	यदि वे कर्मचारी के साथ नहीं रहते हैं, अन्य सी.एच.एस.एस. केंद्र / सी.एस.एम.ए. में लाभ प्राप्त कर रहे हैं If not residing with the employee, whether availing benefits in other station under CHSS / CSMA/CGHS	सभी स्त्रोतों से मासिक आय रु./ Monthly income from all sources (In Rs.)	वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित / विधवा) Marital Status (Married /Unmarried/ Widow)
	3					703777				

मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूं कि यदि मेरा द्वारा दी गई घोषणा गलत साबित होती है तो, पूरे परिवार सदस्यों के लिए सी.एच.एस.एस सुविधा को हटाने के अलावा नियमानुसार, अन्य अनुशासनिक / अन्य कार्रवाई के लिए बद्ध रहूँगा/रहूँगी। साथ ही मैंने अपने परिवार के किसी भी सदस्यों के वैधता समाप्त अथवा सदस्यों के नाम पर आश्रित सी.एच.एस.एस कार्ड को नहीं रखा है। I hereby declare that in case my declaration is proved false, I am liable for disciplinary /other action as per rules apart from withdrawing CHSS facility to the entire family member. Also I do not possess any validity expired or non-dependent CHSS cards in the name of any of my family members.

पता / Address :	हस्ताक्षर/Signature	:	
	नाम/Name	:	
	स्टाफ कोड नं / Staff Code No	:	
	पदनाम व प्रभाग /Designation & Division	:	
पिनकोड / Pin code:	दूरभाष /Phone:		आवास (Res).:
दिनांक / Date	ईमेल आईडी/E-Mail ID	:	
सेवा में / To : प्रशासन अधिकारी, सीएचएसएस / Administrative Officer, CHSS			

नोट/Note:

- A. यदि परिवार के किसी सदस्य [वेतन/पेंशन, मंहगाई भत्ता/ राहत तथा उपदान के समान पेंशन सहित] का सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय रू. 9000/-+ लागू म.भ व / म.रा प्रतिमाह से अधिक नहीं है, तो उन्हें मुख्य लाभार्थी का आश्रित माना जाता है। If the income from all sources [including Salary/Pension, Dearness Allowance/Relief and pension equivalent of gratuity] of the family member (No income criteria for spouse) does not exceed Rs. 9000/-+ prevailing DA/DR per month, then she/he is treated as dependent.
- B. यदि कर्मचारी के पुत्र 25 से अधिक आयु व निर्धारित सीमा से अधिक अर्जन करता (कमाई) है, तो वह सी.एच.एस.एस. लाभ प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं है। If the son's age of the employee is exceeding 25 years or employed and earning more than the prescribed limit, he is ineligible to avail benefits under CHSS
- C. अं.वि.का.ज्ञा.दि: 01.05.2023 व एफएक्यू दिनाकं 21.06.2023 के अनुसार विवाह-विच्छेद बहनें, विधवा / विवाह विच्छेद / कानूनी रुप से अलग पुत्री के नाबालिक बच्चे सी.एच.एस.एस लाभ प्राप्त करने के लिए अर्ह नहीं है।

 As per DOS O.M. dated 01.05.2023 and FAQ dated 21.06.2023, Divorced sister, Minor children of widowed / divorced / legally separated daughter are ineligible under CHSS.

 D. यदि लाभार्थीं 18 वर्ष का या उससे अधिक हो, तो कर्मचारियों को घोषणा प्रपत्र के साथ सी.एच.एस.एस के तहत, घोषित आश्रितों के आश्रित होने को साबित करने हेतु आयके प्रूफ (विविध राज्य सरकार के संबंधित
- D. <u>पदि लाभार्थी 18 वर्ष का या उससे</u> अधिक हो, तो कर्मचारियों को घोषणा प्रपत्र के साथ सी.एच.एस.एस के तहत, घोषित आश्रितों के आश्रित होने को साबित करने हेतु आयके प्रूफ (विविध राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र या फाईल किए आई.टी.आर. की प्रति) को प्रस्तुत करना होगा। If the beneficiary is 18 years and above, the employee must submit income proof (either income certificate issued by concerned Authority under different State Governments or a copy of filed ITR) along with Declaration Form to prove dependency of the declared dependent under CHSS.

<u>पश्च सेवा निवृत्ति के नौकरी प्रमाण पत्र</u> POST RETIREMENT EMPLOYMENT CERTIFICATE

मैं पर कार्यरत/(दिनांक सहित प्रस्तावित हूँ। उपरोक्त सहित अन्य सभी स्रोत	रनाम कर्मचारी सं नौकरी) / व्यापार कर रहा/रही हूँ तथा _. ों से कुल आय से रु	_ जो को सेवानिवृत्त् से प्रति माह/प्रति व है।	होकर के साथ िरु आय के रुपये	के रूप में प्राप्त कर रहा/रही			
Iin trade (including proposed of an income of Rs including the above is Rs	Designation employment with date) as per month /per annu w.e.f	Staff No r with ım w.e.f	etired on is emp a . The total income from all	lloyed/engaged nd is in receipt other sources			
	<u> এ</u>	<u>थवा / OR</u>					
में प नहीं कर रहा/रही हूँ तथा पेंशन सर्व	दनाम कर्मचारी सं हेत, सभी अन्य स्रोतों से मेरी आय	_, दिनांक को सेवानि से प्रति माह/प्रति वर्ष	वृत्त हुआ तथा मैं किसी भी तरह रु है।	की नौकरी/व्यापार			
मैनें वर्ष 2023 का जीवन काल अंध	रादान /वार्षिक अंशदान का भुगतान किर	ग है।					
l employed/engaged in trade a w.e.f	Designationand my income from all other sou	Staff No rces including pension is I	retired on per mo	is not onth/per annum			
I have paid Life Time Contrib	oution / Annual Contribution for the	e year 2024.					
स्थान/Place: दिनांक/Date :			हस्ताक्षर/Signature				
सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवारत पति/पत्नी द्वारा प्रमाणपत्र CERTIFICATE BY EMPLOYED SPOUSE OF RETIRED EMPLOYEE							
मैं सेवानिवृत्त हुए तथा मैं विभाग के चिकित्सा योजना में शा सुविधा तहत श्री./श्रीमती	की पत्नी या श्रीमती में के रूप में सेवारत/व्यापा मिल नहीं हैं ना ही अन्य किसी स्रोत से _ पर आश्रित हैं।	_ के पति जो यु <u>आरएससी/इस</u> र कर रहा/रही हूँ तथा एतद्वारा चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रा	रों (केन्द्र/यूनिट/संगठन) से दिनां ग्रेषणा करता/करती हूँ कि मेरे पर् हैं और वे अं.वि. के सी.एच.एस	क को ते/पत्नी व बच्चे इस .एस. के चिकित्सा			
declare that I, my spouse & of	W/o / H/o Sri/Smt n, am employed/enga children are not included in the M dent on Shri/Smt	edical Scheme of this dep	artment or availing medical f	acility from any			
स्थान/Place: दिनांक/Date :			हस्ताक्षर/Signature				
मृत/सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवारत पति/पत्नी द्वारा प्रमाण पत्र CERTIFICATE BY EMPLOYED SPOUSE OF DECEASED/RETIRED EMPLOYEE							
मैं, दि कार्यरत/व्यापार कर रहा/रही हूँ त द्वारा चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं क	नांक को मृत था एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ज्र रहे हैं और अं.वि. के सी.एच.एस.एस.	(केन्द्र/यूनिट/संगठन) के पति मैं व मेरे बच्चे, इस विभाग के चि के तहत चिकित्सा सुविधाओं पर	/ की पत्नी में केत्सा योजना में शामिल नहीं हैं य आश्रित हैं।	के रूप में 11 अन्य किसी स्रोत			
I,, is an my children are not included dependent on Medical faciliti	W/o H/o Sri/Smt n employed/engaged in trade with I in the Medical Scheme of this c es under CHSS of DOS.	of as lepartment or availing me	(Centre/Unit/Org and hereby dical facility from any other	anization) who declare that I & source and are			
स्थान/Place: दिनांक/Date :			हस्ताक्षर/Signature				